

11.9.22 >

01.09.2022:—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*Wemy's*

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

